मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक: 15-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
298	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.1358) दि. 15-03-2018 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर)	जिला टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ ब्लाक में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना।	दिनांक 7 मई, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा क्रमांक 3502 के द्वारा बल्देवगढ़ में नया महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की है और उसको खोलने की कार्यवाही प्रचलन में है। हम कोशिश करेंगे कि नये सत्र से खोल दें।		
299	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.2688) दि. 15-03-2018 (श्री दिलीप सिंह परिहार)	नीमच विधान सभा के जीरन तहसील में महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना।	2018-19 से जीरन में महाविद्यालय प्रारंभ हो जाएगा।		
300	अतारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.470) दि. 15-03-2018 (श्री दुर्गालाल विजय)	जिला श्योपुर में महाविद्यालय कैम्पस में कन्या छात्रावास में भृत्य, चौकीदार व स्वीपर के पद आउटसोर्स से भरा जाना।	(1) आउटसोर्स के पदों की पूर्ति हेतु नीति नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) आउटसोर्स के द्वारा पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 15-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
301	मांग संख्या (क्रमांक 13) दि. 15-03-2018 (श्री शैलेन्द्र पटेल,डॉ. कैलाश जाटव,श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा,श्री रामनिवास रावत,सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	(1) जिला सीहोर की मण्डी इछावर में इलेक्ट्रानिक तोल कांटा लगाया जाना। (2) गोटेगांव कृषि उपज मण्डी में दो सेट स्वीकृत किया जाना। (3) नीमच जिले के जावद में सब्जी मंडी प्रारंभ किया जाना एवं बहुउद्देशीय भवन के लिए राशि आवंटित की जाना। (4) श्योपुर जिले के विजयपुर की पुरानी कृषि उपज मण्डी के स्थान अन्य नवीन स्थान पर कृषि उपज मण्डी का निर्माण कराया जाना। (5) बालाघाट जिले के लांजी में नवीन कृषि उपज मण्डी बनाया जाना।	(1) मण्डी इछावर में इलेक्ट्रानिक तौल कांटे की आवश्यकता है। मैं उनकी इस मांग को स्वीकार करता हूँ उनके लिये 10 से लेकर 50 टन का इलेक्ट्रानिक तौल कांटा उनकी इछावर मण्डी में देने की घोषणा करता हूँ। (2) गोटेगांव मंडी में दो मंडी सेट स्वीकृत किये जाते हैं, और हम इसकी तत्काल स्वीकृति जारी करेंगे। (3) जमीन उपलब्ध करवा दे, हम जावद में सब्जी मंडी बनाने की घोषणा करते हैं। जावद को 1 करोड़ रूपये बहुउद्देश्यीय भवन के लिये दिया जायेगा। (4) विजयपुर में पृथक स्थान पर नई मंडी बनाने के लिये हम उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। मंडी के निर्माण में जिस राशि की जरूरत पड़ेगी, वह भी देंगे। (5) हम बालडोंगरी में बालाघाट से पृथक करके लांजी में एक नयी कृषि उपज मंडी बनायेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

खेल और युवा कल्याण विभाग

दिनांक: 15-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
302	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.28 (प्रश्न क्रं.1114) दि. 15-03-2018 (श्रीमती ममता मीना)	खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय भोपाल में नियुक्त संविदा खेल प्रशिक्षक श्री सक्सेना की उक्त नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के बिन्दु क्रमांक 05(1) का अभ्यर्थी के चयन में उल्लंघन किए जाने के कारण सेवा समाप्त किया जाना।	उतरांश (क) में उल्लेखित तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 15-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
303	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.94) दि. 15-03-2018 (श्रीमती नंदनी मरावी)	नगर पालिका सिहोरा के अंतर्गत बरझां बायपास का निर्माण किया जाना।	जानकारी हासिल कर ली गई है, जल्दी ही करेंगे।		
304	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.1756) दि. 15-03-2018 (डॉ. मोहन यादव)	(1) उज्जैन विकास प्राधिकरण में दिनांक 01 जनवरी 2014 से 15 मार्च 2018 तक हुई भर्तियों की जांच किया जाना। (2) गलत तरीके से/प्रक्रिया के विरूद्ध की गई भर्ती की जांच एक-दो माह में किया जाना।	(1) प्रथम दृष्टया भर्ती में यह देखने में आता है कि सामान्य प्रशासन विभाग और मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा भर्ती नियम, 1988 के कतिपय प्रावधानों के पालन में प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है। मैं इसे स्वीकार करती हूं इसलिये मैं संचानालय स्तर से जांच किये जाने के आदेश देती हूं। जांच में जो निर्णय आयेगा, गुण-दोष के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। (2) हम एक महीने में जांच पूरी कर लेंगे।		
305	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.3731) दि. 15-03-2018 (श्री हरदीप सिंह डंग)	शामगढ़ जल आवर्धन योजना हेतु संबंधित ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य एवं हुए भुगतान की जांच कराई जाना।	हम उसकी जांच करवा लेंगे। जब जांच होगी, विधायक जी को सूचना कर दी जायेगी और आप उसमें शामिल हो सकते हैं।		
306	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.3526) दि. 15-03-2018 (श्री महेश राय)	बीना विकास योजना 2011-12 का प्रकाशन किया जाना।	जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण कर लेंगे।		
307	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.1171) दि. 15-03-2018 (श्री कालुसिंह ठाकुर)	नगर परिषद माण्डव द्वारा छप्पन महल नाला तालाब एवं टिपकिया तालाब निर्माण में कार्यरत् मजदूरों की राशि का भुगतान व्यक्तियों/फर्मो को किए जाने की शिकायत पर जांच एवं कार्यवाही किया जाना।	उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर, जिला धार द्वारा गठित जांच समिति द्वारा जांच की कार्यवाही प्रचलित है। जांच उपरान्त यथास्थिति कार्यवाही संभव हो सकेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
308	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.41 (प्रश्न क्रं.1531) दि. 15-03-2018 (श्री उमंग सिंघार)	श्री एस. कुमार प्रभारी परियोजना अधिकारी शहरी विकास प्राधिकरण रतलाम की नियुक्ति व पदोन्नति की जांच किया जाना।	जांच कार्यवाही प्रचलित है।		
309	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.1759) दि. 15-03-2018 (श्री रामनिवास रावत)	राज्य शासन द्वारा गठित म.प्र. राज्य वस्त्र स्वच्छता मंडल का अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत किया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।		
310	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.2375) दि. 15-03-2018 (श्री प्रताप सिंह)	दमोह जिले की नगर पंचायत तेंदूखेड़ा में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाना।	प्रकरण प्रेसिडेन्ट-इन-काउंसिल के समक्ष विचाराधीन है।		
311	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.2621) दि. 15-03-2018 (पं. रमेश दुबे)	नगर पालिका परिषद होशंगाबाद में निर्माण कार्यो में अनियमितता, अवैध निर्माण एवं नियम विरूद्ध वाहनों को किराए पर लिए जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।		
312	अतारांकित प्रश्न सं.44 (प्रश्न क्रं.1940) दि. 15-03-2018 (डॉ. मोहन यादव)	उज्जैन नगर निगम अंतर्गत वैध एवं अवैध कॉलोनियों को नगर निगम में हस्तांतरण किया जाना।	नगर निगम, उज्जैन में अवैध कॉलानियों को नियमितिकरण उपरान्त नगर निगम में हस्तान्तरण करने की कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग | दिनांक: 15-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
313	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.2600) दि. 15-03-2018 (श्री बाला बच्चन)	जिला बड़वानी के ग्राम कोडिया से चिंबाडिया, मंडवारा से बाणी, मंडवारा से उचावद में सड़क निर्माण कर जोड़ा जाना।	जिन गांवों के नाम माननीय सदस्य जी ने दिये हैं उसका हम परीक्षण करवा लेंगे यदि किसी कारण से यह गांव छूट गये होंगे तो वहां भी जल्दी से जल्दी सड़क निर्माण की स्वीकृति दे देंगे।		
314	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.44 (प्रश्न क्रं.1580) दि. 15-03-2018 (श्री कैलाश चावला)	प्रदेश की आंगनवाड़ियों में भवन निर्माण हेतु राशि जारी किया जाना एवं निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना।	जी हॉं। जिन आंगनवाड़ी की राशि जारी की जा चुकी है उनमें कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जा रहा है। शेष नवीन आंगनवाड़ियों में पूर्व निर्णय अनुसार धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
315	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.108 (प्रश्न क्रं.3328) दि. 15-03-2018 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	जिला पंचायत सागर अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारियों की विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।	(1) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक जिला एवं जनपद पंचायतों के 06 अधिकारी/कर्मचारियों की विभागीय जांच संस्थित है। विभागीय जांच एक वर्ष में पूर्ण किये जाने के शासन के निर्देश है। (2) प्रचलित विभागीय जांच पूर्ण उपरांत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुशंसनात्मक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जावेगा।		
316	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.121 (प्रश्न क्रं.3626) दि. 15-03-2018 (डॉ. मोहन यादव)	श्री मोहनलाल पाराशर, सेवानिवृत्त सहायक यंत्री की पेंशन एवं उनके स्वत्वों का भुगतान किया जाना।	प्रकरण में जांच प्रचलित होने से पेंशन देने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।		
317	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.142 (प्रश्न क्रं.3839) दि. 15-03-2018 (श्री शिवनारायण सिंह लल्लू भैया)	जिला शहडोल के ग्राम पंचायत क्योंटार के तत्कालीन सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना।	श्री मनोज कुमार राठौर के विरूद्ध अवैध भर्ती संबंधी प्रकरण न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर में प्रचलन में है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
318	अतारांकित प्रश्न सं.38 (प्रश्न क्रं.1601) दि. 15-03-2018 (श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा))	प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों को पृथक से नवीन वेतनमान स्वीकृत किया जाना।	जी हाँ । ग्राम पंचायत सचिवों को पृथक से नवीन वेतनमान स्वीकृत करने की कार्यवाही विचाराधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

दिनांक: 15-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
319	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्र.86) दि. 15-03-2018 (श्री लखन पटेल)	बुन्देलखण्ड पैकेज से दमोह जिले में कराए गए कार्यो में अनियमितताओं की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कराया जाना।	(1) स्थल निरीक्षण भी किया गया है। जिन विभागों को यह काम दिया गया था उसमें जांच भी हुई है और उसमें अनियमितताएं भी पाई गई है। अनियमितताओं की जांच भी हो रही है और उन अधिकारियों को आरोपपत्र भी दिये गये हैं, उनकी विभागीय जांच हम जल्दी से जल्दी संस्थित करेंगे । जांच में या स्थल निरीक्षण में जैसी माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त की है आप हमें बता दें कि आपकी क्या अपेक्षा है, केसी जांच होना चाहिये। जांच अच्छे से हो सके तो आपकी जो राय होगी हम वैसी जांच करवा सकते हैं। (2) हम उनका स्थल निरीक्षण करवा लेंगे और जो अधिकारी यह कार्य करेंगे, वह हम आपको बता देंगे और आपको उसमें साथ में सम्मिलित करेंगे। बाकी जो आपके मन में जांच के प्रति शंका है कि जांच में कमी है, देर हो रही है तो जांच भी हम जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

राजस्व विभाग

दिनांक: 15-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
320	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.76) दि. 15-03-2018 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मेखडाहेड़ी, राजपुरा, ललितपुरा, बिचगाबड़ी, सारंगपुर एवं भिलवाड़िया में सन् 1960 में लागू चकबंदी के मुताबिक खातेदारों को काबिज कराया जाना।	छह महीने के पहले ही करवा देंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक: 15-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
321	मांग संख्या (क्रमांक 20) दि. 15-03-2018 (श्री जयवर्द्धन सिंह, श्री के. के. श्रीवास्तव, श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल, श्री रजनीश सिंह, श्री बहादुर सिंह चौहान, श्री यादवेन्द्र सिंह, श्री रामलाल रौतेल, श्री निशंक कुमार जैन, श्री रामप्यारे कुलस्ते, श्री हरदीप सिंह डंग, श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, श्री गोवर्धन उपाध्याय, श्री घनश्याम पिरोनियाँ, श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	(1) उज्जैन जिले की महिदपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत डिवीजन कार्यालय खोला जाना। (2) अनूपपुर में पदस्थ सब इंजीनियर का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना। (3) मण्डला जिले की निवास विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत फ्लोराइड की समस्या का निराकरण किया जाना एवं मोहगांव विकासखण्ड मुख्यालय में संचालित नल-जल योजना के लिए बुढनेर नदी पर बैराज बनाया जाना तथा नलजल योजना के लिए ओवरहेड टेंक बनाया जाना। (4) माननीय सदस्यों द्वारा पेयजल के लिए दिए गए सुझाव अनुसार उनके क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।	(1) निश्चित रूप से बहादुर सिंह चौहान जी आपके यहां डिवीजन खोल देंगे। (2) श्री रामलाल रौतेल जी ने कहा है कि सब इंजीनियर हटा दीजिये तो समझिये आज ही हमने हटा दिया। (3) श्री रामप्यारे कुलस्ते जी ने कहा है कि हमारे यहां योजना बनवा दें। उसको भी हम बनवा देंगे। (4) जिन्होंने सुझाव दिये हैं इन सभी सुझावों का हम पालन करेंगे और मानेंगे और उनके क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होने देंगे। सबको पूरी तरह से पानी देंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

वन विभाग

दिनांक: 15-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
322	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.3397) दि. 15-03-2018 (श्री निशंक कुमार जैन)	दक्षिण वनमण्डल बैतूल के वन अपराध क्र. 453/65 के संबंध में माननीय विधायक श्री निशंक कुमार जैन के पत्र क्र. 8101 दिनांक 10.10.2017 का उत्तर दिया जाना।	हम एडव्होकेट जनरल से भी राये ले सकते हैं और जैसी एडव्होकेट जनरल हमको राय देंगे। हम केस के बारे में वैसा आगे चलेंगे।		
323	अतारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.182) दि. 15-03-2018 (कुँवर विक्रम सिंह)	छतरपुर जिले में दिनांक 01.01.2017 से 15.03.2018 तक अधिकारियों के विरूद्ध जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच किया जाना।	(1) दिनांक 01.01.2017 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में 01 अधिकारी के विरूद्ध जन प्रतिनिधि द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत की जांच प्रचलित है। (2) जी हाँ वर्तमान में जांच प्रचलित है।		
324	अतारांकित प्रश्न सं.28 (प्रश्न क्रं.1357) दि. 15-03-2018 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर)	जिला छतरपुर के ग्राम चंद्रनगर निवासी भागीरथ पिता गनपत कुशवाहा की भूमि खसरा क्र. 455/1/5 पर पेट्रोल पंप हेतु एन.ओ.सी. प्रदान किया जाना।	आवेदन से प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्थल जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग | दिनांक: 15-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
325	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.94 (प्रश्न क्रं.3021) दि. 15-03-2018 (श्री आरिफ अकील)	दिनांक 01 मार्च, 2017 को माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण अनुसार समस्त विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान किया जाना।	माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
326	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.128 (प्रश्न क्रं.3719) दि. 15-03-2018 (श्रीमती झूमा सोलंकी)	माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार गरीबी रेखा का प्रावधान समाप्त कर विधवाओं को विधवा पेंशन का लाभ दिया जाना।	जी हाँ। नीतिगत निर्णय होने के कारण प्रक्रियाधीन है।		